

Chapter Review

- *Introduction: In Chapter 1 we learnt that division of power among different levels of government is one of the major forms of power sharing in modern democracies. This chapter explains the theory and practice of federalism in India and ends with local government, a new and third tier of Indian federalism.*
- *What is federalism? Federalism is a system of government in which power is divided between a central authority and various constituent units of the country. Usually a federation has two levels of government, and both enjoy their power independent of the other. One is the government for the entire country, usually responsible for a few subjects of common national interest. The others are governments at the level of provinces or states that look after much of the day-to-day administering of their state. Both these levels of governments derive their authority from the constitution; in this sense they are separately answerable to the people.*
- *Unitary vs federal system: A unitary system has only one level of government, or the sub-units are subordinate to the Central Government. The Central Government can pass on orders to the provincial or local government; the central government is supreme, and the administrative divisions exercise only powers that the central government has delegated to them, which may be broadened or narrowed by the central government. A federal system has two or more levels (tiers) of government; the Central Government cannot order the state government to do something, and the State Government has powers of its own for which it is not answerable to the central government.*

- *Key features of federalism: (1) There are two or more levels (tiers) of government. (2) Different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. (3) The existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. (4) The fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government; such changes require the consent of both levels. (5) Courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government; the highest court acts as an umpire if disputes arise. (6) Sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. (7) The federal system has dual objectives: to safeguard and promote the unity of the country, while at the same time accommodate regional diversity. Therefore two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism: governments at different levels should agree to some rules of power sharing, and they should also trust that each would abide by its part of the agreement.*

- *Routes to federation: There are two kinds of routes through which federations have been formed. The first involves independent States coming together on their own to form a bigger unit, so that by pooling sovereignty and retaining identity they can increase their security. This type of 'coming together' federations include the USA, Switzerland and Australia; here all the constituent States usually have equal power and are strong vis-a-vis the federal government. The second route is where a large country decides to divide its power between the constituent States and the national government. India, Spain and Belgium are examples of this type of 'holding together' federations; here the central government tends to be more powerful vis-a-vis the States, and very often different constituent units of the federation have unequal powers, and some units are granted special powers.*
- *What makes India a federal country? The Constitution originally provided for a two-tier system of government, the Union Government or what we call the Central Government, representing the Union of India, and the State governments. Later, a third tier of federalism was added in the form of Panchayats and Municipalities. As in any federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction. The Constitution clearly provided a three-fold distribution of legislative powers between the Union Government and the State Governments, with three lists: Union List, State List and Concurrent List.*

- *The three lists: The Union List includes subjects of national importance such as defence of the country, foreign affairs, banking, communications and currency; they are included in this list because we need a uniform policy on these matters throughout the country, and the Union Government alone can make laws on these. The State List contains subjects of State and local importance such as police, trade, commerce, agriculture and irrigation; the State Governments alone can make laws relating to these. The Concurrent List includes subjects of common interest to both the Union Government as well as the State Governments, such as education, forest, trade unions, marriage, adoption and succession; both can make laws on these, but if their laws conflict with each other, the law made by the Union Government will prevail. Subjects that do not fall in any of the lists, residuary subjects such as computer software that came up after the Constitution was made, go to the Union Government. Unlike the other States, Jammu and Kashmir had its own constitution earlier, and many provisions of the Indian Constitution were not applicable to it without the approval of the State Assembly; such special status can be granted to a State, but states like Assam and Nagaland also have some special powers under certain provisions of the Constitution.*

- *Constitutional safeguards: Not all States in the Indian Union have identical powers; some units enjoy special status. Many provisions of the Constitution cannot be changed without the consent of both levels. Any change to the Constitution has to be first passed by both Houses of Parliament by at least two-thirds majority, and then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total States. The judiciary plays an important role in overseeing the implementation of constitutional provisions and procedures; in case of any dispute about division of powers, the High Courts and the Supreme Court make a decision. The Union and State governments have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them.*
- *How is federalism practised? Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but they are not sufficient. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country, which ensured that its spirit was respected by all.*
Linguistic states: the creation of linguistic States was the first and a major test for democratic politics in India. In 1947 the boundaries of several old 'Presidencies' and 'Princely States' were changed in order to create new States. States were created on the basis of language so that people who spoke the same language lived in the same State. Some States were created not on the basis of language but to recognise differences based on culture, ethnicity or geography, such as Nagaland, Uttarakhand and Jharkhand. When the demand for linguistic states was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country, but the formation of linguistic States has actually made the country more united and administration easier.

- *Language policy: A second test for Indian federation is the language policy. Our Constitution did not give the status of national language to any one language. Hindi was identified as the official language, but Hindi is the mother tongue of only about 40 per cent of Indians, so there were many safeguards to protect other languages. Besides Hindi, there are 21 other languages recognised as Scheduled Languages by the Constitution. A candidate in an examination conducted for the central government positions may opt to take the examination in any of these languages. States too have their own official languages, and much of the government work takes place in the official language of the concerned State. Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very careful approach in spreading the use of Hindi. According to the Constitution, the use of English for official purposes was to stop in 1965, but many non-Hindi speaking States demanded its continuation; the Central Government agreed to continue English along with Hindi for official purposes. This flexibility strengthened federalism. The promotion of Hindi continues to be the official policy of the Government of India, but promotion does not mean that the Centre can impose Hindi on States where people speak a different language.*

- *Centre-State relations: Restructuring the Centre-State relations is another way in which federalism has been strengthened in practice. In the period when the same party ruled at both the Centre and in most of the States, State governments did not exercise their rights as autonomous federal units, and the Central Government sometimes misused the Constitution to dismiss the State governments that were controlled by rival parties. After 1990, this changed with the rise of regional political parties in many States of the country; this was also the beginning of the era of coalition governments at the Centre. Since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, the major national parties had to enter into an alliance with many parties including several regional parties to form a government at the Centre. This led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of State Governments. The Supreme Court's landmark judgement in the S.R. Bommai case (1994) made it difficult for the Central Government to dismiss state governments in an arbitrary manner.*

- *Decentralisation in India: Federations have two or more tiers of government. India is a large country with a population of over 100 crore; it is too large to be governed from one centre or even two levels. States in India are as large as independent countries of Europe; Uttar Pradesh is more populous than Russia, Maharashtra is about as populous as Germany. Therefore federal power sharing was extended to a third tier, local governments. When power is taken away from Central and State governments and given to the local government, it is called decentralisation. The basic idea behind decentralisation is that there are a large number of problems and issues which are best settled at the local level; people have better knowledge of problems in their localities, they also have better ideas on where to spend money and how to manage things more efficiently, and local government is nearest to the people so they can directly participate in decision making, which helps to inculcate the habit of democratic participation.*
- *The 1992 amendment: A major step towards decentralisation was taken in 1992. The Constitution was amended to make the third tier of democracy more powerful and effective. (1) It is now constitutionally mandatory to hold regular elections to local government bodies. (2) Seats are reserved in the elected bodies and the executive heads of these institutions for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. (3) At least one-third of all positions are reserved for women. (4) An independent institution called the State Election Commission has been created in each State to conduct panchayat and municipal elections. (5) State governments are required to share some powers and revenue with local government bodies; the nature of sharing varies from State to State.*

- *Panchayati Raj: Rural local government is popularly known as Panchayati Raj. Each village, or a group of villages in some States, has a gram panchayat, a council consisting of several ward members, often called panch, and a president or sarpanch. They are directly elected by all the adult population living in that ward or village. It is the decision-making body for the entire village. The Panchayat works under the overall supervision of the Gram Sabha: all the voters in the village are its members, and it has to meet at least twice or thrice in a year to approve the annual budget of the gram panchayat and to review the performance of the Gram Panchayat. The local governments in rural areas are organised in three levels. A few gram panchayats are grouped together to form what is usually called a Panchayat Samiti or Block or Mandal; the members of this representative body are elected by all the Panchayat members in that area. All the Panchayat Samitis or Mandals in a district together constitute the Zilla (district) Parishad; most members of the Zilla Parishad are elected, and members of the Lok Sabha and MLAs of that district and some other officials of other district-level bodies are also its members. Zilla Parishad chairperson is the political head of the Zilla Parishad.*

- **Municipalities:** Similarly, local government bodies exist for urban areas as well. Municipalities are set up in towns, and big cities are constituted into Municipal Corporations. Both are controlled by elected bodies consisting of people's representatives. Municipal chairperson is the political head of the Municipality. In a Municipal Corporation such an officer is called the Mayor. This new system of local government is the largest experiment in democracy conducted anywhere in the world. There are now about 36 lakh elected representatives in the panchayats and municipalities all over the country. Constitutional status for local government has helped to deepen democracy in our country and it has also increased women's representation and voice in our democracy. At the same time, there are many difficulties: while elections are held regularly and enthusiastically, Gram Sabhas are not held regularly, and most State governments have not transferred significant powers to the local governments, nor adequate resources.

Key Terms

Federalism – System of government in which power is divided between a central authority and various constituent units.

Unitary System – System with one level of government or in which sub-units are subordinate to the central government.

Jurisdiction – Area over which someone has legal authority; the extent of power of a government in specific matters.

Union List – Subjects of national importance on which only the Union Government can make laws.

State List – Subjects of state and local importance on which only the State Governments can make laws.

Concurrent List – Subjects of common interest on which both can make laws; Union law prevails in a conflict.

Residuary Subjects – Subjects not in any list, such as computer software; they go to the Union Government.

Coming Together Federation – Independent States come together to form a bigger unit, as in the USA, Switzerland, Australia.

Holding Together Federation – Large country divides power between its units and the Centre, as in India, Spain, Belgium.

Decentralisation – Taking power from Central and State governments and giving it to local government.

Gram Sabha – Body of all the voters in a village which supervises the gram panchayat.

Panchayati Raj – Rural local government in three tiers: Gram Panchayat, Panchayat Samiti, Zilla Parishad.

Municipal Corporation – Urban local body for big cities, headed by the Mayor.

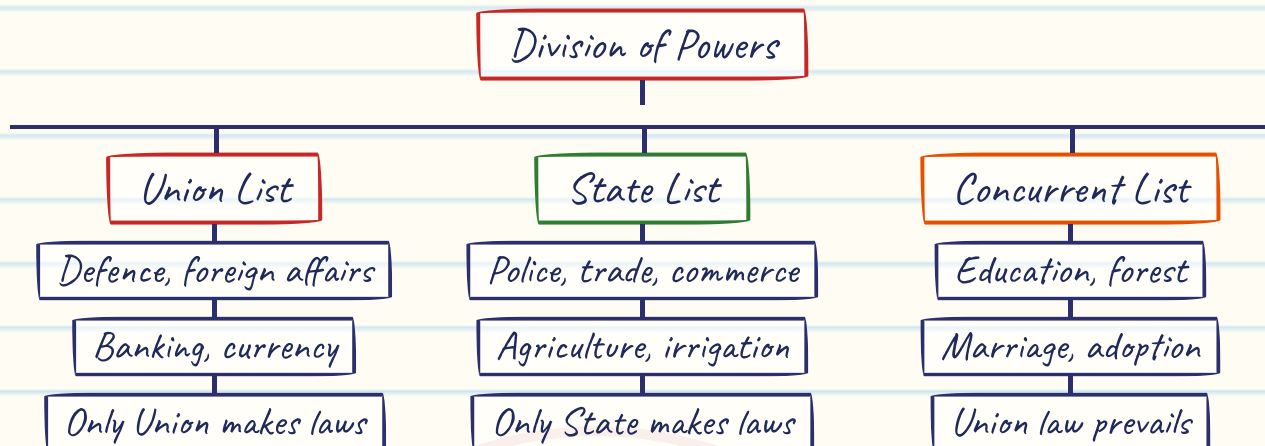
State Election Commission – Independent body in each State that conducts panchayat and municipal elections.

Diagrams / Flowcharts

Unitary vs Federal System

Point	Unitary	Federal
Tiers of government	One level or subordinate units	Two or more tiers
Centre's orders	Can order provinces	Cannot order the states
Powers of units	Delegated by the Centre	Own powers, not answerable to Centre

Three Lists of Indian Constitution



Two Types of Federations

Coming together

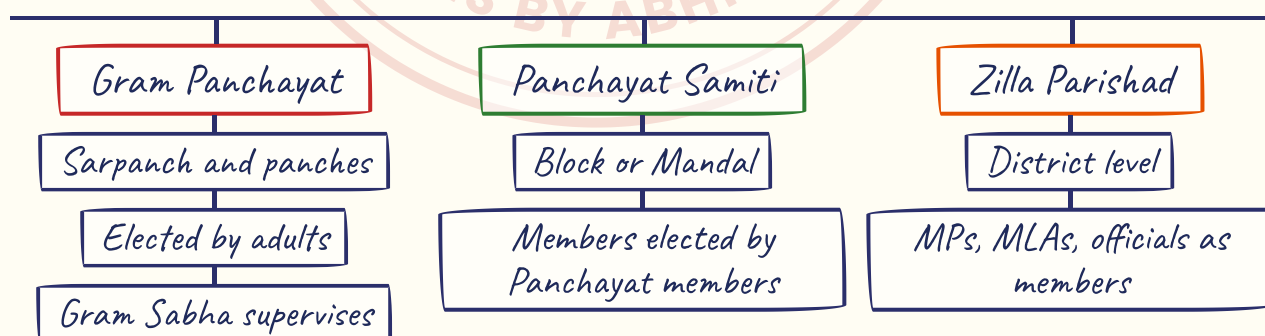
- Independent States unite
- USA, Switzerland, Australia
- All units equal in power

Holding together

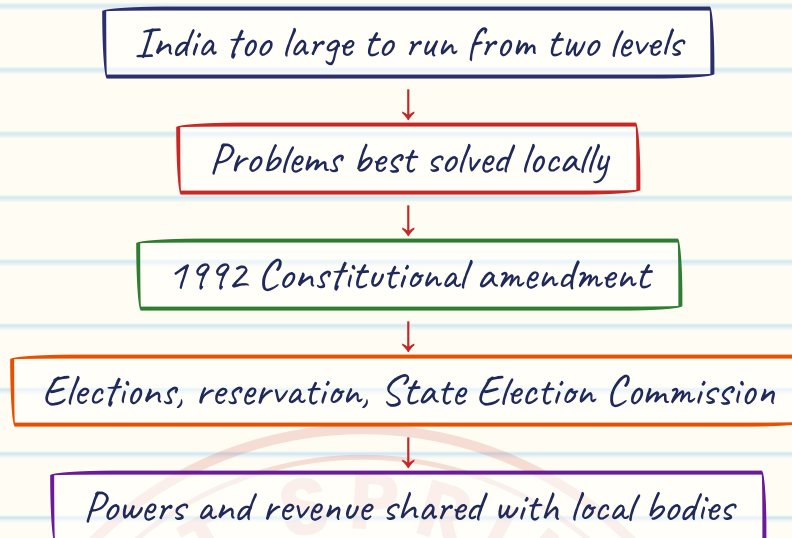
- Large country divides power
- India, Spain, Belgium
- Centre more powerful

Panchayati Raj (Rural)

Local Government (Rural)



Path to Decentralisation



Key Facts on Local Government

Point	Detail
Constitutional change	1992
Women's reservation	At least one-third of seats
Also reserved for	SC, ST and OBC
Election conducted by	State Election Commission
Urban body head	Chairperson; Mayor in a Corporation
Elected representatives	About 36 lakh

Textbook Exercise Questions

Q.1 Point out one feature in the practice of federalism in India that is similar to and one feature that is different from that of Belgium.

Ans. Similar: in both India and Belgium, power is shared between the Central Government and State Governments and a third tier also exists; Belgium has community governments, India has local governments (panchayats and municipalities), and both are 'holding together' federations in which

a large country divided power among its units. Different: in Belgium the State Governments are strong and not subordinate to the Central Government, and Brussels has a separate government with equal representation, while in India the Centre is more powerful than the States, and powers are divided through three lists, with residuary powers with the Union. Also, in Belgium the third tier is a community government elected by language groups, while in India local governments are based on territory.

Q.2 What is the main difference between a federal form of government and a unitary one? Explain with an example.

Ans. In a unitary system there is only one level of government, or the sub-units are subordinate to the Central Government, which can pass orders to the provincial or local government; the administrative units exercise only the powers delegated to them. In a federal system there are two or more levels of government, each with its own jurisdiction, constitutionally guaranteed; the Central Government cannot order the State Government, and States have powers of their own for which they are not answerable to the Centre. Example: Sri Lanka has a unitary system, in which the national government has all powers, while India is a federation, with Union and State governments each making laws on subjects in their own list.

Q.3 State any two differences between the local government and the State government.

Ans. First, a State government is the second tier of the federation, with its own jurisdiction established by the Constitution (the State List), and can make laws on subjects like police and agriculture, whereas a local government (panchayat or municipality) is the third tier and works

within powers and resources that the State government shares with it. Second, a State government rules a whole state through legislative assembly and ministers, while the local government covers a village, block, district or a town and is nearest to the people, who can participate directly through the Gram Sabha. Local governments also depend on the State for powers and funds, while States have their own sources of revenue.

Q.4 Why was the Constitution amended in 1992 to strengthen local government? What are its main provisions?

Ans. India is too large to be governed from two levels, and many problems are best settled locally, but earlier local governments were weak, with elections irregular and few powers and funds. The 1992 amendment gave the third tier constitutional status: (1) regular elections are mandatory; (2) seats are reserved for SCs, STs and OBCs; (3) at least one-third positions are reserved for women; (4) a State Election Commission conducts the elections; (5) State governments must share some powers and revenue with local bodies. This deepened democracy, increased participation and women's representation.

Q.5 Explain the language policy of India.

Ans. The Constitution did not give the status of national language to any one language. Hindi was identified as the official language, but since it is the mother tongue of only about 40 per cent of Indians, there are safeguards for others: 21 other languages are recognised as Scheduled Languages, a candidate for central government jobs may take the examination in any of them, and States have their own official languages. English was allowed to continue as an associate official language after 1965 when non-Hindi speaking States demanded it.

Unlike Sri Lanka, India did not impose one language, and this flexible approach strengthened federalism.

Q.6 How have linguistic states and coalition politics strengthened federalism in India?

Ans. Linguistic states: States were created on the basis of language so that people speaking the same language lived in the same State, which made administration easier and the country more united, not divided as feared. Coalition politics: after 1990 regional parties rose, and since no single party got a clear majority in the Lok Sabha, national parties had to ally with regional parties to form a government at the Centre. This created a new culture of power sharing and respect for the autonomy of State governments, and the Supreme Court's Bommai judgement (1994) made arbitrary dismissal of state governments difficult.

Q.7 Describe the structure and functions of Panchayati Raj.

Ans. Rural local government is called Panchayati Raj. Each village, or a group of villages, has a gram panchayat, consisting of several ward members called panches and a president called sarpanch, elected directly by adults of the village; it is the decision-making body for the village and works under the supervision of the Gram Sabha, which includes all voters and meets at least two or three times a year to approve the annual budget and review the panchayat's performance. A few gram panchayats form a Panchayat Samiti (Block or Mandal), and all the Samitis in a district form the Zilla Parishad, whose members include elected members, MPs, MLAs and some district officials, and whose chairperson is the political head.

Important Board-Pattern Questions (with Solutions)

Q.1 [1 mark] What is federalism?

Ans. A system of government in which power is divided between a central authority and the constituent units of the country.

Q.2 [1 mark] Name the head of a Municipal Corporation.

Ans. The Mayor.

Q.3 [3 marks] State any three features of federalism.

Ans. There are two or more levels of government; each level has its own jurisdiction in legislation, taxation and administration, and its existence is constitutionally guaranteed; the fundamental provisions of the constitution cannot be changed by one level alone, and courts interpret the constitution and settle disputes. Revenue sources are clearly specified, and the system both promotes unity and accommodates diversity.

Q.4 [3 marks] Differentiate between 'coming together' and 'holding together' federations.

Ans. In coming together federations independent States join to form a bigger unit, as in the USA, Switzerland and Australia; all States have equal power and are strong against the federal government. In holding together federations a large country divides its power among States and the national government, as in India, Spain and Belgium; here the Centre is often stronger and States may have unequal powers.

Q.5 [3 marks] Explain the Union, State and Concurrent Lists with examples.

Ans. The Union List has subjects of national importance like defence, foreign affairs, banking and currency, on which only the Union makes laws. The State List has subjects of state importance like police, trade, agriculture

and irrigation, on which only States make laws. The Concurrent List has subjects of common interest like education, forests, marriage and trade unions, on which both make laws; the Union law prevails in case of conflict.

Q.6 [3 marks] What is decentralisation? Why is it needed?

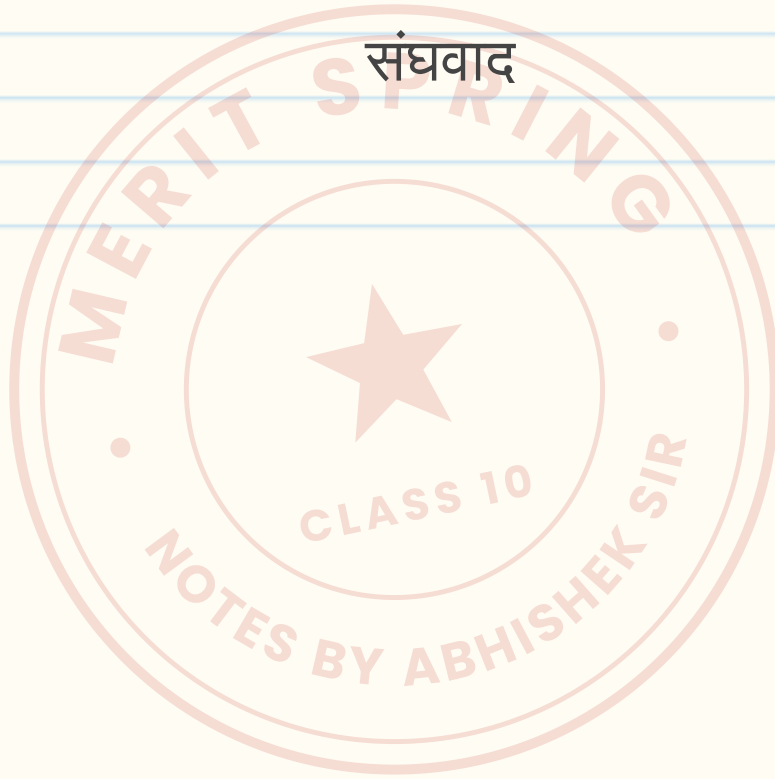
Ans. Decentralisation is the taking of power from the Central and State governments and giving it to local governments. It is needed because many problems are best settled locally, local people know their problems better and can decide how to spend money, and it lets people directly participate in decisions, which deepens democracy.

Q.7 [5 marks] How is federalism practised in India? Explain with reference to linguistic states, language policy and Centre-State relations.

Ans. Federalism succeeds in India because of democratic politics. Linguistic states: states were reorganised on language and also culture or geography, which made the country more united. Language policy: no national language; Hindi is the official language along with 21 scheduled languages, English continued along with Hindi, and States have their own official languages. Centre-State relations: after 1990 regional parties and coalition governments strengthened the autonomy of States, and the Bommai judgement (1994) restricted arbitrary dismissal of state governments.

HINDI VERSION

संघवाद



अध्याय समीक्षा

- परिचय: अध्याय 1 में हमने सीखा कि सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का बँटवारा आधुनिक लोकतंत्रों में सत्ता की साझेदारी का एक प्रमुख रूप है। इस अध्याय में भारत में संघवाद के सिद्धांत और व्यवहार को समझाया गया है और अंत में स्थानीय सरकार, यानी भारतीय संघवाद के नए तीसरे स्तर, के बारे में बताया गया है।
- संघवाद क्या है? संघवाद सरकार की ऐसी प्रणाली है जिसमें सत्ता एक केंद्रीय सत्ता और देश की विभिन्न घटक इकाइयों के बीच बँटी होती है। आमतौर पर संघ में सरकार के दो स्तर होते हैं और दोनों अपनी शक्ति एक-दूसरे से स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं। एक पूरे देश की सरकार है, जो प्रायः राष्ट्रीय महत्व के कुछ विषयों के लिए उत्तरदायी होती है। दूसरे प्रांतों या राज्यों के स्तर की सरकारें हैं जो अपने राज्य का अधिकांश रोजमर्रा का प्रशासन देखती हैं। दोनों स्तर की सरकारें अपना अधिकार संविधान से पाती हैं; इस अर्थ में वे जनता के प्रति अलग-अलग उत्तरदायी हैं।
- एकात्मक बनाम संघीय प्रणाली: एकात्मक प्रणाली में सरकार का केवल एक स्तर होता है, या उप-इकाइयाँ केंद्र सरकार के अधीन होती हैं। केंद्र सरकार प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती है; केंद्र सरकार सर्वोच्च होती है और प्रशासनिक इकाइयाँ केवल वही शक्तियाँ प्रयोग करती हैं जो केंद्र ने उन्हें सौंपी हों, जिन्हें केंद्र बढ़ा या घटा सकता है। संघीय प्रणाली में सरकार के दो या अधिक स्तर होते हैं; केंद्र सरकार राज्य सरकार को कुछ करने का आदेश नहीं दे सकती, और राज्य सरकार की अपनी शक्तियाँ होती हैं जिनके लिए वह केंद्र के प्रति उत्तरदायी नहीं होती।

- संघवाद की मुख्य विशेषताएँ: (1) सरकार के दो या अधिक स्तर होते हैं। (2) अलग-अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिकों पर शासन करती हैं, पर कानून बनाने, कर लगाने और प्रशासन के विशिष्ट मामलों में हर स्तर का अपना अधिकार-क्षेत्र होता है। (3) हर स्तर की सरकार का अस्तित्व और अधिकार संवैधानिक रूप से सुरक्षित होता है। (4) संविधान के मौलिक प्रावधानों को सरकार का कोई एक स्तर अकेले नहीं बदल सकता; इसके लिए दोनों स्तरों की सहमति चाहिए। (5) न्यायालयों को संविधान और विभिन्न स्तरों की सरकारों की शक्तियों की व्याख्या का अधिकार है; विवाद होने पर सर्वोच्च न्यायालय निर्णायक की तरह कार्य करता है। (6) हर स्तर की सरकार के राजस्व के स्रोत स्पष्ट रूप से निर्धारित होते हैं ताकि उसकी वित्तीय स्वायत्तता बनी रहे। (7) संघीय प्रणाली के दोहरे उद्देश्य हैं: देश की एकता की रक्षा और उसे बढ़ावा देना, और साथ ही क्षेत्रीय विविधता को स्थान देना। इसलिए संघवाद की संस्थाओं और व्यवहार के लिए दो बातें ज़रूरी हैं: विभिन्न स्तर की सरकारें सत्ता-साझेदारी के कुछ नियमों पर सहमत हों, और उन्हें एक-दूसरे पर भरोसा हो कि वे अपने हिस्से का समझौता निभाएँगी।
- संघ बनने के रास्ते: संघ दो रास्तों से बने हैं। पहले रास्ते में स्वतंत्र राज्य अपनी इच्छा से मिलकर एक बड़ी इकाई बनाते हैं ताकि संप्रभुता को साझा करके और अपनी पहचान बनाए रखकर अपनी सुरक्षा बढ़ा सकें। इस प्रकार के 'साथ आकर' (कमिंग टुगेदर) संघों में अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया हैं; यहाँ घटक राज्यों के पास प्रायः बराबर शक्तियाँ होती हैं और वे संघीय सरकार के मुकाबले मज़बूत होते हैं। दूसरे रास्ते में कोई बड़ा देश अपनी सत्ता घटक राज्यों और राष्ट्रीय सरकार में बाँट देता है। भारत, स्पेन और बेल्जियम इस प्रकार के 'साथ बनाने' (होल्डिंग टुगेदर) वाले संघ हैं; यहाँ केंद्र सरकार राज्यों के मुकाबले अधिक शक्तिशाली होती है और अक्सर घटक इकाइयों की शक्तियाँ असमान होती हैं, कुछ इकाइयों को विशेष शक्तियाँ दी जाती हैं।
- भारत को संघीय देश क्या बनाता है? संविधान ने मूलतः सरकार की दो-स्तरीय व्यवस्था दी: संघ सरकार, यानी केंद्र सरकार जो भारत संघ का प्रतिनिधित्व करती है, और राज्य सरकारें। बाद में संघवाद के तीसरे स्तर के रूप में पंचायतें और नगरपालिकाएँ जोड़ी गईं। किसी भी संघ की तरह इन स्तरों के अधिकार-क्षेत्र अलग हैं। संविधान ने संघ और राज्य सरकारों के बीच विधायी शक्तियों का तीन-स्तरीय बँटवारा स्पष्ट रूप से किया है, जिसकी तीन सूचियाँ हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची।

- तीन सूचियाँ: संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, जैसे देश की रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग, संचार और मुद्रा; इन्हें इसलिए इस सूची में रखा गया क्योंकि इन पर पूरे देश में एक समान नीति चाहिए, और इन पर केवल संघ सरकार कानून बना सकती है। राज्य सूची में राज्य और स्थानीय महत्व के विषय हैं, जैसे पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई; इन पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं। समवर्ती सूची में संघ और राज्य दोनों के साझा हित के विषय हैं, जैसे शिक्षा, वन, व्यापार संघ, विवाह, गोद लेना और उत्तराधिकार; इन पर दोनों कानून बना सकते हैं, पर दोनों के कानूनों में टकराव हो तो संघ सरकार का कानून मान्य होगा। जो विषय किसी सूची में नहीं आते, अवशिष्ट विषय, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो संविधान बनने के बाद आया, वे संघ सरकार के पास जाते हैं। अन्य राज्यों के विपरीत जम्मू-कश्मीर का पहले अपना संविधान था और भारतीय संविधान के कई प्रावधान वहाँ राज्य विधानसभा की मंजूरी के बिना लागू नहीं होते थे; किसी राज्य को ऐसा विशेष दर्जा दिया जा सकता है, और असम तथा नागालैंड जैसे राज्यों को भी संविधान के कुछ प्रावधानों के तहत कुछ विशेष शक्तियाँ हैं।
- संवैधानिक सुरक्षाएँ: भारत संघ के सभी राज्यों की शक्तियाँ एक जैसी नहीं हैं; कुछ इकाइयों को विशेष दर्जा प्राप्त है। संविधान के कई प्रावधान दोनों स्तरों की सहमति के बिना नहीं बदले जा सकते। संविधान में किसी भी बदलाव को पहले संसद के दोनों सदनों में कम से कम दो-तिहाई बहुमत से पास करना पड़ता है और फिर कम से कम आधे राज्यों की विधायिकाओं से अनुमोदित कराना पड़ता है। न्यायपालिका संवैधानिक प्रावधानों और प्रक्रियाओं के पालन पर नज़र रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है; शक्तियों के बँटवारे को लेकर विवाद में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय निर्णय करते हैं। संघ और राज्य सरकारों को कर लगाकर संसाधन जुटाने की शक्ति है ताकि वे सरकार चला सकें और अपनी-अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा सकें।

- **संघवाद का व्यवहार:** संघवाद की सफलता के लिए संवैधानिक प्रावधान आवश्यक हैं, पर पर्याप्त नहीं। भारत में संघवाद की वास्तविक सफलता का श्रेय हमारे देश की लोकतांत्रिक राजनीति के स्वरूप को जाता है, जिसने सुनिश्चित किया कि इसकी भावना का सभी सम्मान करें। भाषाई राज्य: भाषाई राज्यों का निर्माण भारत में लोकतांत्रिक राजनीति की पहली और बड़ी परीक्षा थी। 1947 में कई पुराने 'प्रेसीडेंसियों' और 'रियासतों' की सीमाएँ बदलकर नए राज्य बनाए गए। राज्य भाषा के आधार पर बनाए गए ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में रहें। कुछ राज्य भाषा के आधार पर नहीं बल्कि संस्कृति, नृजातीयता या भूगोल की भिन्नताओं को मान्यता देने के लिए बने, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड और झारखंड। जब भाषाई राज्यों की माँग उठी तो कुछ राष्ट्रीय नेताओं को डर था कि इससे देश टूट जाएगा, पर भाषाई राज्यों के गठन से वास्तव में देश अधिक एकजुट हुआ और प्रशासन आसान हुआ।
- **भाषा नीति:** भारतीय संघ की दूसरी परीक्षा भाषा नीति थी। हमारे संविधान ने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर हिंदी केवल लगभग 40 प्रतिशत भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए अन्य भाषाओं की रक्षा के लिए कई सुरक्षाएँ रखी गईं। हिंदी के अलावा संविधान ने 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता दी है। केंद्र सरकार के पदों की परीक्षा देने वाला उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा देना चुन सकता है। राज्यों की भी अपनी राजभाषाएँ हैं और अधिकांश सरकारी काम संबंधित राज्य की राजभाषा में होता है। श्रीलंका के उलट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के प्रसार में बहुत सावधान रुख अपनाया। संविधान के अनुसार सरकारी कामों में अंग्रेज़ी का प्रयोग 1965 में बंद होना था, पर कई गैर-हिंदी भाषी राज्यों ने इसे जारी रखने की माँग की; केंद्र सरकार ने हिंदी के साथ अंग्रेज़ी को भी जारी रखा। इस लचीलेपन ने संघवाद को मज़बूत किया। हिंदी को बढ़ावा देना भारत सरकार की आधिकारिक नीति बनी हुई है, पर बढ़ावा देने का अर्थ यह नहीं कि केंद्र उन राज्यों पर हिंदी थोप दे जहाँ लोग अलग भाषा बोलते हैं।

- **केंद्र-राज्य संबंध:** केंद्र-राज्य संबंधों का पुनर्गठन व्यवहार में संघवाद को मज़बूत करने का एक और तरीका है। जब केंद्र और अधिकांश राज्यों में एक ही दल का शासन था, तब राज्य सरकारें स्वायत्त संघीय इकाइयों के रूप में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं करती थीं और केंद्र सरकार ने कभी-कभी संविधान का दुरुपयोग करके विरोधी दलों के नियंत्रण वाली राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया। 1990 के बाद इसमें बदलाव आया, जब देश के कई राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ; यही केंद्र में गठबंधन सरकारों के युग की शुरुआत थी। चूँकि लोकसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, प्रमुख राष्ट्रीय दलों को केंद्र में सरकार बनाने के लिए कई दलों, जिनमें कई क्षेत्रीय दल भी थे, से गठबंधन करना पड़ा। इससे सत्ता की साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता के सम्मान की नई संस्कृति बनी। सर्वोच्च न्यायालय के एस.आर. बोम्मई मामले (1994) के ऐतिहासिक फैसले ने केंद्र सरकार के लिए राज्य सरकारों को मनमाने ढंग से बर्खास्त करना कठिन बना दिया।
- **भारत में विकेंद्रीकरण:** संघों में सरकार के दो या अधिक स्तर होते हैं। भारत 100 करोड़ से अधिक आबादी वाला बड़ा देश है; इसे एक केंद्र या दो स्तरों से चलाना बहुत कठिन है। भारत के राज्य यूरोप के स्वतंत्र देशों जितने बड़े हैं; उत्तर प्रदेश की आबादी रूस से अधिक है और महाराष्ट्र की लगभग जर्मनी के बराबर। इसलिए संघीय सत्ता-साझेदारी को तीसरे स्तर, स्थानीय सरकारों, तक बढ़ाया गया। जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो उसे विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण का मूल विचार यह है कि बहुत-सी समस्याएँ और मुद्दे स्थानीय स्तर पर ही सबसे अच्छी तरह सुलझाए जा सकते हैं; लोगों को अपने मोहल्लों की समस्याओं की बेहतर जानकारी होती है, उन्हें इसकी भी बेहतर समझ होती है कि पैसा कहाँ खर्च करें और चीज़ें कैसे अधिक कुशलता से संभालें, और स्थानीय सरकार जनता के सबसे नज़दीक होती है इसलिए लोग निर्णय-प्रक्रिया में सीधे भाग ले सकते हैं, जिससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है।

- 1992 का संशोधन: विकेंद्रीकरण की दिशा में बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। लोकतंत्र के तीसरे स्तर को अधिक शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में संशोधन किया गया। (1) अब स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के नियमित चुनाव कराना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। (2) निर्वाचित निकायों और इन संस्थाओं के कार्यकारी प्रमुखों के पदों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सीटें आरक्षित हैं। (3) कम से कम एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। (4) हर राज्य में पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए 'राज्य चुनाव आयोग' नाम की स्वतंत्र संस्था बनाई गई है। (5) राज्य सरकारों के लिए आवश्यक है कि वे कुछ शक्तियाँ और राजस्व स्थानीय निकायों से बाँटें; यह बँटवारा राज्य-दर-राज्य अलग है।
- पंचायती राज: ग्रामीण स्थानीय सरकार को आमतौर पर पंचायती राज कहते हैं। प्रत्येक गाँव, या कुछ राज्यों में कई गाँवों के समूह, की एक ग्राम पंचायत होती है, जो कई वार्ड सदस्यों (प्रायः पंच) और एक अध्यक्ष या सरपंच की परिषद है। इन्हें उस वार्ड या गाँव के सभी वयस्क लोग सीधे चुनते हैं। यह पूरे गाँव के लिए निर्णय लेने वाली संस्था है। पंचायत ग्राम सभा की समग्र देखरेख में काम करती है: गाँव के सभी मतदाता उसके सदस्य होते हैं, और उसे ग्राम पंचायत का वार्षिक बजट पास करने और उसके कामकाज की समीक्षा करने के लिए साल में कम से कम दो-तीन बार बैठक करनी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय सरकारें तीन स्तरों पर संगठित हैं। कुछ ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत समिति या खंड (ब्लॉक) या मंडल बनाती हैं; इस प्रतिनिधि संस्था के सदस्य उस क्षेत्र के सभी पंचायत सदस्य चुनते हैं। किसी ज़िले की सभी पंचायत समितियाँ मिलकर ज़िला परिषद बनाती हैं; ज़िला परिषद के अधिकांश सदस्य निर्वाचित होते हैं, और उस ज़िले के लोकसभा सदस्य, विधायक और ज़िला स्तर की अन्य संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी उसके सदस्य होते हैं। ज़िला परिषद का अध्यक्ष उसका राजनीतिक प्रमुख होता है।

- नगरपालिकाएँ: इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों के लिए भी स्थानीय सरकारें हैं। कस्बों में नगरपालिकाएँ बनाई जाती हैं और बड़े शहरों में नगर निगम। दोनों जनप्रतिनिधियों की निर्वाचित संस्थाओं से संचालित होते हैं। नगरपालिका अध्यक्ष नगरपालिका का राजनीतिक प्रमुख होता है; नगर निगम में ऐसे अधिकारी को महापौर (मेयर) कहते हैं। स्थानीय सरकार की यह नई व्यवस्था दुनिया में कहीं भी किया गया लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग है। आज देश भर की पंचायतों और नगरपालिकाओं में लगभग 36 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। स्थानीय सरकार को संवैधानिक दर्जा मिलने से हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें गहरी हुई हैं और महिलाओं का प्रतिनिधित्व और आवाज़ भी बढ़ी है। साथ ही कई कठिनाइयाँ भी हैं: चुनाव नियमित और उत्साह से होते हैं, पर ग्राम सभाओं की बैठकें नियमित नहीं होतीं, और अधिकांश राज्य सरकारों ने स्थानीय सरकारों को ज्यादा शक्तियाँ और पर्याप्त संसाधन नहीं सौंपे हैं।

मुख्य शब्दावली

संघवाद - सरकार की ऐसी प्रणाली जिसमें सत्ता केंद्रीय सत्ता और घटक इकाइयों के बीच बँटी होती है।

एकात्मक प्रणाली - जिसमें सरकार का एक ही स्तर हो या उप-इकाइयाँ केंद्र के अधीन हों।

अधिकार-क्षेत्र - वह क्षेत्र जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो; विशिष्ट मामलों में सरकार की शक्ति का दायरा।

संघ सूची - राष्ट्रीय महत्व के विषय जिन पर केवल संघ सरकार कानून बना सकती है।

राज्य सूची - राज्य और स्थानीय महत्व के विषय जिन पर केवल राज्य सरकारें कानून बना सकती हैं।

समवर्ती सूची - साझा हित के विषय जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं; टकराव में संघ का कानून मान्य।

अवशिष्ट विषय - जो किसी सूची में नहीं, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर; ये संघ सरकार के पास जाते हैं।

साथ आकर बना संघ - स्वतंत्र राज्य मिलकर बड़ी इकाई बनाते हैं, जैसे अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया।

साथ बनाए रखने वाला संघ - बड़ा देश सत्ता राज्यों और केंद्र में बाँटता है, जैसे भारत, स्पेन, बेल्जियम।

विकेंद्रीकरण - केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को देना।

ग्राम सभा - गाँव के सभी मतदाताओं की संस्था जो ग्राम पंचायत की देखरेख करती है।

पंचायती राज - ग्रामीण स्थानीय सरकार के तीन स्तर: ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद।

नगर निगम - बड़े शहरों की स्थानीय संस्था, जिसका प्रमुख महापौर (मेयर) होता है।

राज्य चुनाव आयोग - हर राज्य की स्वतंत्र संस्था जो पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराती है।

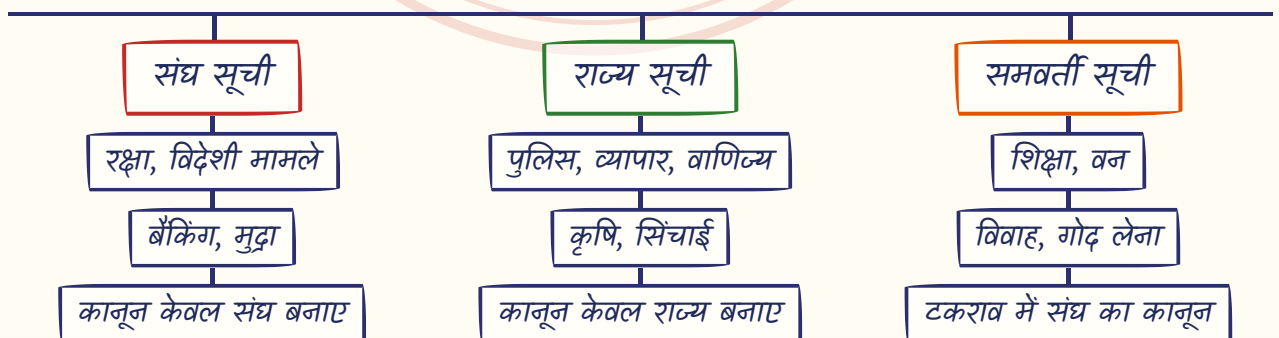
आरेख / फ्लोचार्ट

एकात्मक बनाम संघीय प्रणाली

बिंदु	एकात्मक	संघीय
सरकार के स्तर	एक स्तर या अधीन इकाइयाँ	दो या अधिक स्तर
केंद्र के आदेश	प्रांतों को आदेश दे सकता है	राज्यों को आदेश नहीं दे सकता
इकाइयों की शक्तियाँ	केंद्र द्वारा सौंपी गई	अपनी शक्तियाँ, केंद्र के प्रति उत्तरदायी नहीं

भारतीय संविधान की तीन सूचियाँ

शक्तियों का बँटवारा



संघों के दो प्रकार

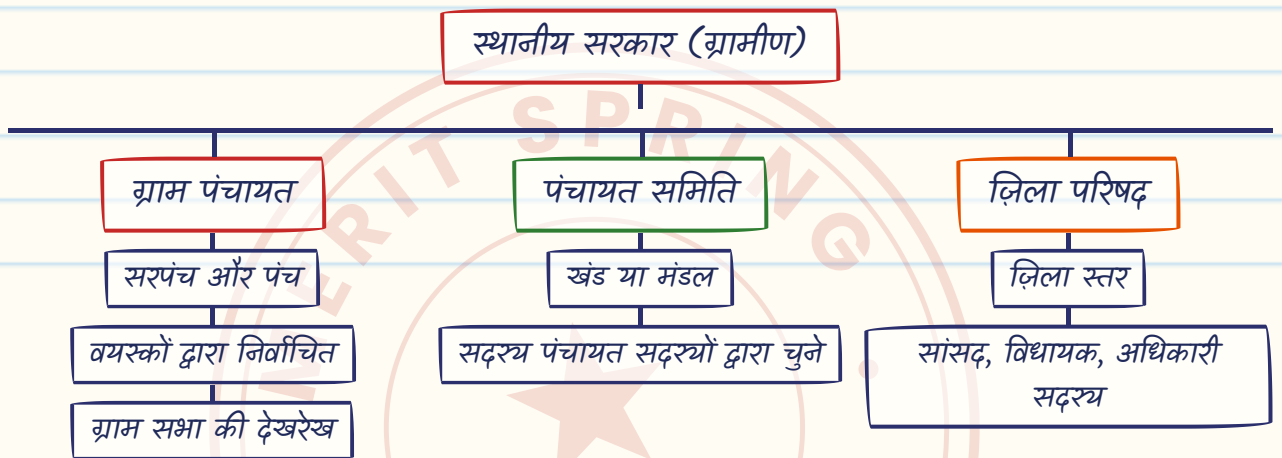
साथ आकर

- स्वतंत्र राज्य एक होते हैं
- अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया
- सभी इकाइयाँ बराबर शक्तिशाली

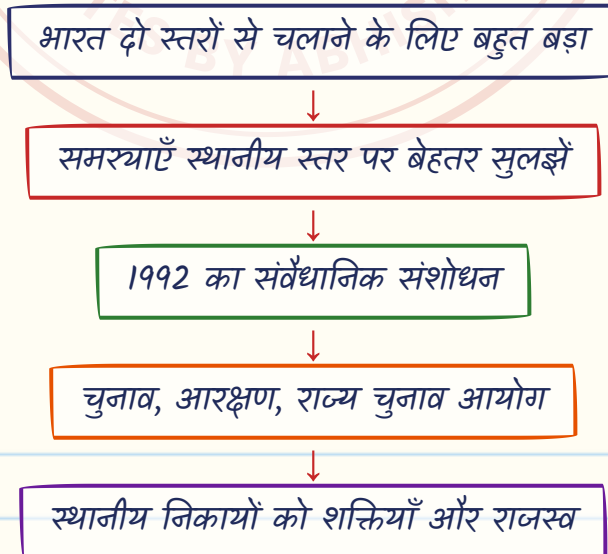
साथ बनाए रखने वाले

- बड़ा देश सत्ता बाँटता है
- भारत, स्पेन, बेल्जियम
- केंद्र अधिक शक्तिशाली

पंचायती राज (ग्रामीण)



विकेंद्रीकरण की राह



स्थानीय सरकार के मुख्य तथ्य

बिंदु	विवरण
संवैधानिक बदलाव	1992
महिलाओं का आरक्षण	कम से कम एक-तिहाई सीटें
अन्य आरक्षण	अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी
चुनाव कराने वाला	राज्य चुनाव आयोग
शहरी निकाय का प्रमुख	अध्यक्ष; निगम में महापौर
निर्वाचित प्रतिनिधि	लगभग 36 लाख

पाठ्यपुस्तक अभ्यास प्रश्न

प्र.1 भारत में संघवाद के व्यवहार की एक ऐसी विशेषता बताइए जो बेल्जियम से मिलती है और एक ऐसी जो उससे अलग है।

उत्तर- समानता: भारत और बेल्जियम दोनों में सत्ता केंद्र सरकार और राज्य सरकारों में बँटी है और तीसरा स्तर भी है; बेल्जियम में सामुदायिक सरकारें हैं और भारत में स्थानीय सरकारें (पंचायत और नगरपालिकाएँ), और दोनों 'साथ बनाए रखने वाले' संघ हैं जिनमें बड़े देश ने इकाइयों में सत्ता बाँटी। अंतर: बेल्जियम में राज्य सरकारें मज़बूत हैं और केंद्र के अधीन नहीं हैं, तथा ब्रसेल्स की अलग सरकार में समान प्रतिनिधित्व है, जबकि भारत में केंद्र राज्यों से अधिक शक्तिशाली है और शक्तियों का बँटवारा तीन सूचियों से होता है, अवशिष्ट शक्तियाँ संघ के पास हैं। साथ ही बेल्जियम में तीसरा स्तर भाषाई समूहों द्वारा चुनी सामुदायिक सरकार है, जबकि भारत में स्थानीय सरकारें क्षेत्र पर आधारित हैं।

प्र.2 संघीय और एकात्मक सरकार में मुख्य अंतर क्या है? उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर- एकात्मक प्रणाली में सरकार का एक ही स्तर होता है, या उप-इकाइयाँ केंद्र सरकार के अधीन होती हैं, जो प्रांतीय या स्थानीय सरकार को आदेश दे सकती हैं; प्रशासनिक इकाइयाँ केवल वही शक्तियाँ प्रयोग करती हैं जो उन्हें सौंपी गई हों। संघीय प्रणाली में सरकार के दो या अधिक स्तर होते हैं, जिनके अपने अधिकार-क्षेत्र संवैधानिक रूप से सुरक्षित हैं; केंद्र सरकार राज्य सरकार को आदेश नहीं दे सकती और राज्यों की अपनी शक्तियाँ होती हैं जिनके लिए वे केंद्र के प्रति उत्तरदायी नहीं हैं। उदाहरण: श्रीलंका में

एकात्मक प्रणाली है, जिसमें राष्ट्रीय सरकार के पास सारी शक्तियाँ हैं, जबकि भारत संघ है, जिसमें संघ और राज्य सरकारें अपनी-अपनी सूची के विषयों पर कानून बनाती हैं।

प्र.3 स्थानीय सरकार और राज्य सरकार में कोई दो अंतर बताइए।

उत्तर- पहला, राज्य सरकार संघ का दूसरा स्तर है, जिसका अधिकार-क्षेत्र संविधान (राज्य सूची) से तय है और जो पुलिस, कृषि जैसे विषयों पर कानून बना सकती है, जबकि स्थानीय सरकार (पंचायत या नगरपालिका) तीसरा स्तर है जो उन शक्तियों और संसाधनों के भीतर काम करती है जो राज्य सरकार उसके साथ बाँटती है। दूसरा, राज्य सरकार पूरे राज्य पर विधानसभा और मंत्रियों के द्वारा शासन करती है, जबकि स्थानीय सरकार गाँव, खंड, ज़िले या कस्बे तक सीमित है और जनता के सबसे नज़दीक है, जहाँ लोग ग्राम सभा के माध्यम से सीधे भाग ले सकते हैं। स्थानीय सरकारें शक्तियों और धन के लिए राज्य पर निर्भर रहती हैं, जबकि राज्यों के राजस्व के अपने स्रोत हैं।

प्र.4 1992 में संविधान में संशोधन करके स्थानीय सरकार को मज़बूत क्यों किया गया? इसके मुख्य प्रावधान क्या हैं?

उत्तर- भारत को दो स्तरों से चलाना बहुत कठिन है और कई समस्याएँ स्थानीय स्तर पर बेहतर सुलझती हैं, पर पहले स्थानीय सरकारें कमज़ोर थीं, चुनाव अनियमित थे और शक्तियाँ तथा धन कम थे। 1992 के संशोधन ने तीसरे स्तर को संवैधानिक दर्जा दिया: (1) नियमित चुनाव अनिवार्य हैं; (2) अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ओबीसी के लिए सीटें आरक्षित हैं; (3) कम से कम एक-तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं; (4) चुनाव राज्य चुनाव आयोग कराता है; (5) राज्य सरकारों को कुछ शक्तियाँ और राजस्व स्थानीय निकायों से बाँटना है। इससे लोकतंत्र गहरा हुआ और भागीदारी तथा महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा।

प्र.5 भारत की भाषा नीति समझाइए।

उत्तर- संविधान ने किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया। हिंदी को राजभाषा माना गया, पर चूँकि यह केवल लगभग 40 प्रतिशत भारतीयों की मातृभाषा है, इसलिए दूसरी भाषाओं की सुरक्षा हुई: 21 अन्य भाषाएँ अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्य हैं, केंद्र सरकार की नौकरियों का उम्मीदवार इनमें से किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, और राज्यों की अपनी राजभाषाएँ हैं। गैर-हिंदी भाषी राज्यों की माँग पर 1965 के बाद भी अंग्रेज़ी

सहायक राजभाषा के रूप में जारी रही। श्रीलंका के उलट भारत ने कोई एक भाषा नहीं थोपी, और इस लचीले रुख ने संघवाद को मज़बूत किया।

प्र.6 भाषाई राज्यों और गठबंधन की राजनीति ने भारत में संघवाद को कैसे मज़बूत किया?

उत्तर- भाषाई राज्य: राज्य भाषा के आधार पर बनाए गए ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक राज्य में रहें, जिससे प्रशासन आसान हुआ और देश बँटने के बजाय, जैसा डर था, और अधिक एकजुट हुआ। गठबंधन की राजनीति: 1990 के बाद क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और लोकसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न मिलने से राष्ट्रीय दलों को केंद्र में सरकार बनाने के लिए क्षेत्रीय दलों से गठबंधन करना पड़ा। इससे सत्ता-साझेदारी और राज्य सरकारों की स्वायत्तता के सम्मान की नई संस्कृति बनी, और सर्वोच्च न्यायालय के बोम्मई फ़ैसले (1994) ने राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी कठिन कर दी।

प्र.7 पंचायती राज की संरचना और कार्यों का वर्णन कीजिए।

उत्तर- ग्रामीण स्थानीय सरकार को पंचायती राज कहते हैं। प्रत्येक गाँव या गाँवों के समूह की ग्राम पंचायत होती है, जिसमें कई वार्ड सदस्य (पंच) और अध्यक्ष (सरपंच) होते हैं, जिन्हें गाँव के वयस्क सीधे चुनते हैं; यह गाँव के लिए निर्णय लेने वाली संस्था है और ग्राम सभा की देखरेख में काम करती है, जिसमें सभी मतदाता होते हैं और जो साल में कम से कम दो-तीन बार बैठक कर वार्षिक बजट पास करती है और पंचायत के कामकाज की समीक्षा करती है। कुछ ग्राम पंचायतें मिलकर पंचायत समिति (खंड या मंडल) बनाती हैं, और ज़िले की सभी समितियाँ मिलकर ज़िला परिषद बनाती हैं, जिसके सदस्यों में निर्वाचित सदस्य, सांसद, विधायक और ज़िले के कुछ अधिकारी होते हैं तथा अध्यक्ष उसका राजनीतिक प्रमुख होता है।

बोर्ड पैटर्न के महत्वपूर्ण प्रश्न (हल सहित)

प्र.1 [1 अंक] संघवाद क्या है?

उत्तर- सरकार की ऐसी प्रणाली जिसमें सत्ता केंद्रीय सत्ता और देश की घटक इकाइयों के बीच बँटी होती है।

प्र.2 [1 अंक] नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं?

उत्तर- महापौर (मेयर)।

प्र.3 [3 अंक] संघवाद की कोई तीन विशेषताएँ बताइए।

उत्तर- सरकार के दो या अधिक स्तर होते हैं; हर स्तर का कानून, कर और प्रशासन में अपना अधिकार-क्षेत्र होता है और उसका अस्तित्व संवैधानिक रूप से सुरक्षित है; संविधान के मौलिक प्रावधान कोई एक स्तर अकेले नहीं बदल सकता और न्यायालय संविधान की व्याख्या करके विवाद सुलझाते हैं। राजस्व के स्रोत स्पष्ट हैं और व्यवस्था एकता को बढ़ावा देती तथा विविधता को स्थान देती हैं।

प्र.4 [3 अंक] 'साथ आकर' और 'साथ बनाए रखने वाले' संघों में अंतर कीजिए।

उत्तर- साथ आकर बने संघों में स्वतंत्र राज्य मिलकर बड़ी इकाई बनाते हैं, जैसे अमेरिका, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया; सभी राज्यों की शक्ति बराबर और केंद्र के मुकाबले मज़बूत होती है। साथ बनाए रखने वाले संघों में बड़ा देश अपनी सत्ता राज्यों और राष्ट्रीय सरकार में बाँटता है, जैसे भारत, स्पेन और बेल्जियम; यहाँ केंद्र अक्सर अधिक शक्तिशाली होता है और राज्यों की शक्तियाँ असमान हो सकती हैं।

प्र.5 [3 अंक] संघ, राज्य और समवर्ती सूची को उदाहरण सहित समझाइए।

उत्तर- संघ सूची में रक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग और मुद्रा जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, जिन पर केवल संघ कानून बनाता है। राज्य सूची में पुलिस, व्यापार, कृषि और सिंचाई जैसे राज्य महत्व के विषय हैं, जिन पर केवल राज्य कानून बनाते हैं। समवर्ती सूची में शिक्षा, वन, विवाह और व्यापार संघ जैसे साझा विषय हैं, जिन पर दोनों कानून बनाते हैं; टकराव में संघ का कानून मान्य होता है।

प्र.6 [3 अंक] विकेंद्रीकरण क्या है? यह क्यों ज़रूरी है?

उत्तर- केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को देना विकेंद्रीकरण है। यह इसलिए ज़रूरी है कि बहुत-सी समस्याएँ स्थानीय स्तर पर बेहतर सुलझती हैं, स्थानीय लोग अपनी समस्याएँ बेहतर जानते हैं और धन खर्च करने के तरीके तय कर सकते हैं, और लोग निर्णयों में सीधे भाग ले पाते हैं, जिससे लोकतंत्र गहरा होता है।

प्र.7 [5 अंक] भारत में संघवाद का व्यवहार कैसे होता है? भाषाई राज्यों, भाषा नीति और केंद्र-राज्य संबंधों के संदर्भ में समझाइए।

उत्तर- भारत में संघवाद की सफलता लोकतांत्रिक राजनीति के कारण है। भाषाई राज्य: राज्यों का पुनर्गठन भाषा और संस्कृति या भूगोल के आधार पर हुआ, जिससे देश अधिक एकजुट हुआ। भाषा नीति: कोई राष्ट्रभाषा नहीं; हिंदी राजभाषा है और 21 अनुसूचित भाषाएँ हैं, अंग्रेजी हिंदी के साथ जारी रही, और राज्यों की अपनी राजभाषाएँ हैं। केंद्र-राज्य संबंध: 1990 के बाद क्षेत्रीय दलों और गठबंधन सरकारों से राज्यों की स्वायत्तता मज़बूत हुई, और बोम्मई फ़ैसले (1994) ने राज्य सरकारों की मनमानी बर्खास्तगी रोकी।

